कार्यालय, निदेशक–माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक :–शिविरा–मा/पीएसपी/60570( )/राबाअसअ/बिना मान्यता शिक्षण संस्थान/2019 दिनांकः– 5-09-19

जिला शिक्षा अधिकारी,
माध्यमिक शिक्षा (मुख्यालय),
......................समस्त।

विषयः– बिना मान्यता चल रहे गैर सरकारी विद्यालयों की जांच के सम्बन्ध में
प्रसंगः– राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के पत्रांकः– एफ19( )/बाल आयोग/आरटीई/18–19/9973–10038दिनांक 20.08.19

उपर्युक्त विषयान्तर्गत एंव प्रासंगिक पत्र के सम्बन्ध में लेख है कि राजस्थान राज्य बल अधिकार संरक्षण आयोग से प्राप्त पत्र के अनुसार आपके जिले में बिना मान्यता के चल रहे है। कई गैर सरकारी विद्यालय बिना मान्यता, अनापति प्रमाण पत्र और जिस कक्षा स्तर की अनुमति है उससे उच्च स्तर की कक्षाएं संचालित कर बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड कर रहे है। इस बात को आयोग ने गम्भीरता से लिया है।

अतः आयोग से प्राप्त पत्र के तथ्यों के अनुसार विस्तृत जॉच कर तथ्यात्मक रिपोर्ट मय अपनी स्पष्ट अभिशंषा सहित इस कार्यालय को 10 दिवस में तत्काल प्रभाव से भिजवाना सुनिश्चित करें।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार **इसे प्राथमिकता प्रदान की जावें।**

उप निदेशक (माध्यमिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

www.rajteachers.com

E:\bsp\latter.docx

PS/Email/848/19
21.8.19

PSP
21.8.2019

राजस्थान सरकार
राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग

—2, जलपथ, गांधी नगर जयपुर।
Tel. 0141-2709319 Email - rscpcr.jaipur@gmail.com

क्रमांक :– एफ 19 ( )/बाल आयोग/RTE/18–19/ 9973 – 10035 दिनांक 20.8.19

जिला शिक्षा अधिकारी,
प्रारम्भिक/माध्यमिक शिक्षा,
समस्त जिला, राजस्थान।

विषय :– बिना मान्यता चल रहे गैर सरकारी विँद्यालयों की जॉच के संबंध में।
प्रसंग :– आयोग का पूर्व पत्रांक 3675 दिनांक 26.07.18

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत आयोग के ध्यान में आया है कि राज्य में अनेक निजी विद्यालय बिना मान्यता, अनापत्ति प्रमाण पत्र, व जिस कक्षा स्तर की अनुमति है उससे उच्च स्तर की कक्षाएं संचालित कर बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं।

उक्त कम में आयोग के प्रासंगिक पत्र द्वारा आपको सम्बन्धित जिले के गैर सरकारी विद्यालयों की जॉच कर रिपोर्ट आयोग कार्यालय को भिजवाने हेतु लिखा गया था, जिसका प्रत्युत्तर आदिनांक तक अप्राप्त है। आयोग द्वारा इसे गम्भीरता से लिया गया है।

अतः पुनः स्मरण पत्र प्रेषित कर आपको निर्देशित किया जाता है कि आपके जिले में बगैर मान्यता व अनापत्ति प्रमाण पत्र के संचालित निजी विद्यालयों की जॉच करवाकर जॉच रिपोर्ट पूर्ण विवरण सहित आयोग कार्यालय को 10 दिवस में भिजवाना सुनिश्चित करावें।

www.rajteachers.com

उप सचिव
राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक :– एफ 19 ( )/बाल आयोग/RTE/18–19/ 10039 – दिनांक 20.8.19
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्न को प्रेषित है–

1. निदेशक, प्रारम्भिक/माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर को भेजकर निवेदन है कि पत्र की पालना सुनिश्चित करावें।

उप सचिव
राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग
राजस्थान, जयपुर